

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 155 : Burden of proof**

Where any person claims that he is eligible for input tax credit under this Act, the burden of proving such claim shall lie on such person.

---

**धारा 155 : सबूत का भार**

जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

---